<u>न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर जिला बालाघाट(म.प्र.)</u> दांडिक प्रकरण क्रमांक 1157/2014 संस्थित दिनांक-01.12.2014

निर्णय

(<u>आज दिनांक-01.12.2014 को घोषित</u>)

स्पष्ट रूप से स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त को धारा—34(1) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में दोषसिद्ध किया जाता है।

सजा के प्रश्न पर सुना गया। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्त अपराधी परीविक्षा अधिनियम की धारा—3 व 4 के प्रावधानों का लाभ पाने का पात्र नहीं है, किन्तु अभियुक्त को कारावास से दिण्डत किया जाना भी उचित प्रतीत नहीं होता है।

अभियुक्त को धारा 34(1)(क) म.प्र. आबकारी अधिनियम के आरोप में न्यायालय उठने तक की सजा तथा रूपये 600 / – (छः सौ रूपये) के अर्थदण्ड से दिण्डित किया जाता हैं। अर्थदंड अदा नहीं करने पर अभियुक्त को एक माह का सादा कारावास से भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा शराब 6 लीटर हाथ भट्टी कच्ची मदिरा शराब मूल्यहीन होने एवं लोक स्वास्थ्य के लिये हानिकारक होने से विधिवत नष्ट की जावे।

बैहर दिनांक—01.12.2014

(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला–बालाघाट